दिनांक 21.07.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

''मोर जमीन मोर मकान'' में घर बनाने वालों की पहली किश्त जारी

भिलाईनगर/प्रधानमंत्री आवास योजना ''मोर जमीन मोर मकान'' के तहत् नगर निगम भिलाई क्षेत्र में निवासरत हितग्राही अपने भूखण्ड पर मकान बनाने के लिए आवेदन किये थे। शासन के नियमानुसार जांच में जो सहीं पाया गया उस पर मकान बनाने के लिए भवन अनुज्ञा जारी किया गया। निर्धारित प्रारुप के अनुसार मकान बनाने वाले वार्ड 17 एवं 19 के 6 हितग्राहियों सन्तराम साहू राशि 30747, लेखराम कंवर राशि 30573, गोदावरी वर्मा राशि 29834, कृष्णा कुमार राजपुत राशि 47250, कुंजलाल राशि 31102, युधिष्ठिर तांडी राशि 29598, कुल स्वीकृत राशि 1,99,104 रुपये स्वीकृत होने के बाद उनके बैंक खाते में डाल दिया गया, यह उनका प्रथम किश्त है। जैसे–जैसे मकान निर्माण होते जायेगा उन्हे शासन से पैसा मिलेगा, कुल 4 किश्तों में पैसा हितग्राही के खाते में डाला जायेगा। जैसे–जैसे मकान निर्माण करने की सूचना आती जायेगी शासन द्वारा किश्त का भुगतान किया जावेगा। शासन द्वारा अधिकृत इंजीनियर के द्वारा प्रमाणित नक्शे के अनुरुप एवं उनके देखरेख में ही मकान का निर्माण किया जाना है। आयुक्त चौहान ने ''मोर जमीन मोर मकान''योजना के तहत् आवेदन करने वाले हितग्राहियों से अपील की है कि जिसको भवन अनुज्ञा (बिल्डिंग परमिशन) जारी किया जा चुका है वे अपना–अपना मकान बनाना शुरु करें।

जनसम्पर्क अधिकारी